<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोविन्द राजपुरोहित् बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 302 / 2022</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>28-09-2022</td><td>अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित, पता म.नं. 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.07..2022 में (1) कार्यालय तहसीलदार जोधपुर की एकल खिड़की शाखा के द्वारा जारी की गयी प्राप्ति रसीद सख्या 5042 एवं 5043 के अनुसार प्रार्थी को सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 23.03.2022 को प्राप्त की जानी चाहिए थी परन्तु प्रार्थी को आज दिनांक 28.03.2022 तक प्रार्थी के द्वारा प्राप्ति रसीद संख्या 5042 व 5043 से चाही गयी सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जिला कलक्टर (रिकॉर्ड) जोधपुर के द्वारा आवेदन प्राप्ति रसीद सं0 5042 व 5043 पर सत्यापित प्रतिलिपि नहीं जारी करने के कारण बाबत् की सूचना अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1506 दिनांक 13.092022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1496 दिनांक 09.09.22 द्वारा कुल 01 पृष्ठ की सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है, चूंकि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु सं0 5 से 11 तक से संबंधित हो सकती है, परन्तु बिन्दु संख्या 1 से 4 के बारे में अवगत नहीं करवाया गया है अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को बिन्दु सं0 1 से 4 तक संबंधित सूचना 15 दिवस में प्रेषित करे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>